

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022

MISC APPLICATION IN DISPOSED OF CASES No. 38/2023

Hariom Gupta

...Applicant

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.

...Respondent

INDEX


S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 03.04.2024	1-6
2.	A true copy of the letter dated 16.01.2024 is annexed here as ANNEXURE 1.	7
3	A true copy of the letter dated 25.01.2024 is annexed here as ANNEXURE 2.	8
4	A true copy of the photographs of the suction machine at the site is annexed here as ANNEXURE 3.	9 - 10
5	A true copy of the minutes of the meeting is annexed here as ANNEXURE 4.	11 - 12
6	A true copy of the letter dated 22.06.2024 is annexed here as ANNEXURE - 5	13
7	A true copy of the letter dated 24.06.2024 is annexed as ANNEXURE - 6.	14

8	A true copy of the letter dated 27.6.2024 by NPP, Loni to Jal Nigam is annexed here as ANNEXURE - 7.	15
9	A true copy of the letter dated 25.06.2024 is annexed here as ANNEXURE 8	16 - 17
10	A true copy of the letter dated 26.06.2024 vide 1332/NGT is annexed here as ANNEXURE - 9	18
11	A true copy of the letter is annexed here as ANNEXURE 10	19 - 20

Applicants

Through

Date: 29.06.2024
Place: New Delhi



PRIYANKA SWAMI
Advocate

**Counsel for Nagar Palika Parishad, Loni
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014**

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022

MISC APPLICATION IN DISPOSED OF CASES No. 38/2023

Hariom Gupta

...Applicant

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.


...Respondents

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE
GHAZIABAD, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 09.01.2024**

I, Indra Vikram Singh, s/o Lt.Sundar Singh, aged about 54 years, currently posted as District Magistrate Ghaziabad, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under: That I am duly authorised and competent to affirm the present affidavit on behalf of the State of UP through District Magistrate, which has been prepared based on my official records and under my instructions.

1. I am fully conversant with the facts and circumstances of the present case on the basis of the records maintained in the office to enable me to file the present Affidavit on behalf of the state.

That in relation to the above, OA No. 196 of 2022 Hariom Gupta vs. Nagar Palika Parishad, Loni & ors. Highlights of the order dated 09.01.2024 passed are as follows –



9. It may also be observed here that UPPCB cannot be a silent spectator to the violations of the Solid-Waste Management Rules 2016 and the Water (Prevention

/

and Control of Pollution) Act 1974 and mere issuance of show cause notices without taking of appropriate action on the same or issuance of directions without implementation of the same can not achieve the object of protection of environment. The UPPCB is directed to take action for imposition of environmental compensation and also prosecution of the concerned officers and the contractor alleged to have violated the environmental norms."

3. That it is most respectfully submitted that vide letter no. 1579/NPP Ioni Ghaziabad/2023/2024 dated 16.01.2024 was directed to E.O, Nagar Palika Parishad Ioni to get the DPR for sewage treated for Pooja Colony prepared by the chief engineer, U.P. Jal Nigam, Ghaziabad, in compliance of Hon'ble national green tribunal order dated 09.01.2024. A true copy of the letter dated 16.01.2024 is annexed here as ANNEXURE 1.
4. That it is pertinent to mention here that, the Joint Secretary, Urban Development Department, Govt. of UP., has also directed to the State Mission Director (AMRUT), Urban Local Bodies. Directorate, UP and managing director, UP Jal Nigam (Urban), Lucknow to prepare the DPR with regard to the sewage discharge of Pooja colony so that the directions of this Hon'ble Tribunal must be taken care of. A true copy of the letter dated 25.01.2024 is annexed here as ANNEXURE 2.
5. That it is respectfully submitted that in compliance with the order dated 19.01.2024, the Hon'ble Tribunal was pleased to direct the next date of hearing on 03.04.2024, considering the ongoing work taken up by U.P Jal Nigam officials.



RE

and Control of Pollution) Act 1974 and mere issuance of show cause notices without taking of appropriate action on the same or issuance of directions without implementation of the same can not achieve the object of protection of environment. The UPPCB is directed to take action for imposition of environmental compensation and also prosecution of the concerned officers and the contractor alleged to have violated the environmental norms."

3. That it is most respectfully submitted that vide letter no. 1579/NPP loni Ghaziabad/2023/2024 dated 16.01.2024 was directed to E.O, Nagar Palika Parishad loni to get the DPR for sewage treated for Pooja Colony prepared by the chief engineer, U.P. Jal Nigam, Ghaziabad, in compliance of Hon'ble national green tribunal order dated 09.01.2024. A true copy of the letter dated 16.01.2024 is annexed here as **ANNEXURE 1**.
4. That it is pertinent to mention here that, the Joint Secretary, Urban Development Department, Govt. of UP., has also directed to the State Mission Director (AMRUT), Urban Local Bodies. Directorate, UP and managing director, UP Jal Nigam (Urban), Lucknow to prepare the DPR with regard to the sewage discharge of Pooja colony so that the directions of this Hon'ble Tribunal must be taken care of. A true copy of the letter dated 25.01.2024 is annexed here as **ANNEXURE 2**.
5. That it is respectfully submitted that in compliance with the order dated 19.01.2024, the Hon'ble Tribunal was pleased to direct the next date of hearing on 03.04.2024, considering the ongoing work taken up by U.P Jal Nigam officials.



E

6. That it is pertinent to mention here that as a temporary measure, the NPP Loni has deployed a suction machine and is taking the sewage to the STP for treatment as per the limited resources available to them. A true copy of the photographs of the suction machine at the site is annexed here as **ANNEXURE 3**.
7. That it is respectfully submitted that in continuation of the work assigned to the Jal Nigam they had conducted a joint survey on 21.06.2024 along with the officials of Nagar Palika Parishad, Loni. A true copy of the minutes of the meeting is annexed here as **ANNEXURE 4**.
8. Further, during the inspection, it was recorded that the area where the sewage is getting collected is a low line area and the same needs to have a geographical survey before the DPR is prepared both for the STP as well as the interception and diversion of the drainage system for the flow coming from the Pooja Colony. Also, a cost of Rs. 5 lakh advance amount will be incurred for such a technical survey.
9. That it is respectfully submitted when this fact was brought to my knowledge by the concerned departments, the immediate consensus was made considering the necessary action of the geographical survey will be conducted in the area.
10. That it is further submitted that the EO has sent a letter to the executive engineer, construction division (I) UP, Jal Nigam (Urban) Ghaziabad vide letter no. 281/NPP Lo/ 2024 - 2025 dated 22.06.2024 sent the demand letter



along with account details to expedite the process. A true copy of the letter dated 22.06.2024 is annexed here as **ANNEXURE - 5**.

11. That it is submitted that in response to the above letter, the executive engineer, constructs division (I) UP. Jal Nigam has sent the demand of Rs. 5 lakhs and the account details for the necessary transfer of funds on 24.06.2024, vide dated no:- 0 - 763/V-2/15. A true copy of the letter dated 24.06.2024 is annexed as **ANNEXURE - 6**.
12. Further, it is pertinent to mention here that the amount demanded for the geographical survey has been transferred through cheque no. 679891 on 27.06.2024. A true copy of the letter dated 27.6.2024 by NPP, Loni to Jal Nigam is annexed here as **ANNEXURE - 7**.
13. That it is respectfully submitted, that the undersigned has closely monitored the actions taken by both the departments so far. Also, a letter has been sent to both departments to ensure proper arrangements and treatment of the sewage discharged by the pooja colony and shall ensure full compliance with the order passed by the Hon'ble Tribunal in O.A No. 196 of 2022 Hariom Gupta vs. NNP Loni & Ors. A true copy of the letter dated 25.06.2024 is annexed here as **ANNEXURE 8**.
14. That it is respectfully submitted, that another letter was sent to the chief engineer, UP Jal Nigam (urban) Lucknow for filing a compliance report before the NGT stating all the actions taken till now to ensure environmental protection. A true copy of the letter dated 26.06.2024 vide 1332/NGT is annexed here as **ANNEXURE - 9**



15. That it is pertinent to mention here that the answering respondent is taking all the steps to ensure compliance with orders passed by this Hon'ble tribunal. Also, a letter has been sent to the executive engineer, construction department (I), UP, Jal Nigam to explain the reason for negligence and seek clarification for non-compliance with regard to the order passed by the National Green Tribunal. A true copy of the letter is annexed here as

ANNEXURE 10.




DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Delhi on this 29 day of June, 2024 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Priyanka
I identified the deponent who has signed in my presence

29 JUN 2024
ATTESTED
NOTARY PUBLIC
(INDIA)

Through:


DEPONENT

Priyanka
PRIYANKA SWAMI
Advocate
Counsel for Nagar Palika Parishad, Loni
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail: advpriyankaswami@gmail.com
M: 8800656660

कार्यालय नगर पालिका परिषद लोनी, जनपद-गाजियाबाद

पत्र संख्या :- 1579 / न0पा0परि0लो0गा0 / 2023-24

दिनांक:- 16 जनवरी 2024

सेवा. में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, अनुभाग-1,
उ0 प्र0 शासन।

विषय:- अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेज ड्रेनेज प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद जनसंख्या की विशालता के आधार पर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, जो लगभग 58.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि जनगणना-2011 के अनुसार निकाय की कुल आबादी 5.86 लाख है जबकि वर्तमान में लगभग 10 से 12 लाख आबादी निवास कर रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि निकाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीपस्थ है। इस कारण यहाँ अभी भी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। जनपद वागपत से आने वाली बरी ड्रेन का उत्प्रवाह आवास-विकास के क्षेत्र से होकर टीडीएस सिटी, लोनी, गाजियाबाद में आकर भर रहा है। लोनी नगर पालिका के आस-पास के अधिकांश वार्डों में सम्पर्क मार्ग ऊँचे-नीचे एवं कच्चे तथा डूब क्षेत्र होने के कारण निकाय में जलभराव एक गम्भीर समस्या के रूप में विद्यमान है। मानसून में बरसात का घनत्व अधिक होने के कारण एवं नगर पालिका परिषद, लोनी का भौगोलिक स्वरूप जलवहाव के अनुरूप न होने के कारण जल प्लावन की समस्या अधिक है। चूँकि उक्त क्षेत्र यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण पालिका का क्षेत्र लो-लैण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है एवं जल निकासी का कोई मुख्य स्रोत नहीं है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पूजा कालोनी फ्रीहोल्ड कालोनी, जिसमें छोटे-छोटे मकानों के रूप में निवासी निवास करते हैं, जो घनी आबादी है। यह आबादी लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व में फ्री होल्ड कालोनी दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है। इस कालोनी का प्राकृतिक ढाल दिल्ली सहारनपुर रोड से सी-3 सेक्टर सिग्नेचर सिटी (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) की ओर है एवं पूजा कालोनी, सी-3 सेक्टर सिग्नेचर सिटी (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) से लगभग 01 मीटर से 1.50 मीटर ऊँचाई पर स्थित है तथा पूजा कालोनी की 7 से 8 कालोनियों का पानी, पावी सादकपुर में दिल्ली सहारनपुर रोड के पास स्थित गहरे गड्ढे में भरा रहता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"It may also be observed here that UPPCB cannot be a silent spectator to the violations of the Solid Waste Management Rules 2016 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and mere issuance of show cause notices without taking of appropriate action on the same or issuance of directions without implementation of the same can not achieve the object of protection of environment. The UPPCB is directed to take action for of environmental compensation and also prosecution of the concerned officers and the contractor alleged to have violated the environmental norms...."

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि अमृत 2.0 के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र के पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज की डी0पी0आर0 तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

16.1.24

(कृष्ण कान्त मिश्र)
अधिकांसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव
प्रतिलिपि-

- 1-निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- 3-मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज का डी.पी.आर. तैयार करने का कष्ट करें, चूँकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, & Ors. से सम्बन्धित है; शीघ्रता अपेक्षित है।
- 4-क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

16.1.24
अधिकांसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या:813/नौ-5-2024-42रिट/2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 25 जनवरी, 2024

विषय:-अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेज ड्रेनेज़ प्लान तैयार कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद के पत्र संख्या-1579/न०पा०परि०लो०गा०/2023-24 दिनांक 16.01.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज की डी०पी०आर० तैयार कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद- गाजियाबाद के उक्त पत्र दिनांक 16.01.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव शीर्ष प्राथमिकता/व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक:यथोक्त।

संपदीय,
25.01.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।



21

22

23

24



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 196 / 2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 21.06.2024 को नगर पालिका परिषद, लोनी की पूजा कालोनी के किये गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 196 / 2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 21.06.2024 को नगर पालिका परिषद, लोनी की पूजा कालोनी का नगर पालिका परिषद, लोनी, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) व यूनिट-31, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।

निरीक्षण के समय स्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री अरूण प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
2. श्री अर्जुन सिंह, एस0आर0ई0 यूनिट-31, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
3. श्री शिव कुमार, जूनियर इंजीनियर, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
4. श्री संजीव कुमार अवाना, मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद।
5. श्री मनोज कुमार, अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद।
6. श्री दिनेश कुमार, सफाई एवं खादय निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद।

निरीक्षण आख्या :-

निरीक्षण के समय श्री मनोज कुमार, अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि निकाय क्षेत्र में स्थित पूजा कालोनी के लगभग 4 से 5 किमी0 क्षेत्र का घरेलू श्राव नालियों के माध्यम से निस्तारित होकर दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर लगभग 100 मीटर की लम्बाई में भरा रहता है। निरीक्षण के समय समिति द्वारा यह भी अभिमत दिया गया है कि पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था के उपयुक्त विकल्प के निर्धारण हेतु उक्त क्षेत्र का सर्वप्रथम भौगोलिक सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। भौगोलिक सर्वेक्षण के उपरान्त ही पूजा कालोनी क्षेत्र के जल निकासी हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार की जा सकेगी।

नगर पालिका परिषद, लोनी के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद से आग्रह किया गया है, जिस पर अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा उक्त क्षेत्र के भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु होने वाली व्यय के मद में अग्रिम धनराशि के रूप में रू0 05.00 लाख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिस पर निकाय के उपस्थित कर्मचारियों द्वारा सहमति व्यक्त की

सफाई एवं खादय निरीक्षक
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

अवर अभियन्ता
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

2-E
U.P. 31 (U)
Ghazia bad

गयी है। निकाय द्वारा उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु उक्त वांछित अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने के उपरान्त सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य में लगभग 02 सप्ताह का समय लगेगा जिसके उपरान्त पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु उपयुक्त विकल्प का निर्धारण कर विस्तृत कार्य योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


दिनेश कुमार
सफाई एवं खादय निरीक्षक,
नगर पालिका परिषद, लोनी,
गाजियाबाद


मनोज कुमार,
अवर अभियन्ता,
नगर पालिका परिषद, लोनी,
गाजियाबाद।


संजीव कुमार अर्वाणा,
मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक,
नगर पालिका परिषद, लोनी,
गाजियाबाद।


शिव कुमार,
जूनियर इंजीनियर,
निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल
निगम (नगरीय), गाजियाबाद


अजुन सिंह,
एस0आर0ई0 यूनिट-31, सी0 एण्ड
डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम
(नगरीय), गाजियाबाद


अरुण प्रताप सिंह,
अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल
निगम (नगरीय), गाजियाबाद


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

कार्यालय नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं०: १४ / न०पा०परि०लो० / 2024-25

दिनांक: २२ जून 2024

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम),
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद।

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में 'योजित ओ०ए० संख्या 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अवगत ही है कि दिनांक 21.06.2024 को नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालोनी का निकाय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) व यूनिट-31 सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में भौगोलिक सर्वेक्षण के उपरान्त ही पूजा कालोनी क्षेत्र के जल निकासी हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार की जा सकेगी, जिसके क्रम में क्षेत्र के भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु होने वाले व्यय के मद में अग्रिम धनराशि के रूप में ₹० 5.00 लाख आपके विभाग को उपलब्ध कराये जाने है।

उक्त के क्रम में निकाय द्वारा पूजा कालोनी क्षेत्र के भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु होने वाले व्यय के मद में अग्रिम धनराशि के रूप में ₹० 5.00 लाख आपके विभाग को स्थानान्तरित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि आपके विभाग को स्थानान्तरित करने हेतु मांग पत्र मय बैंक विवरण सहित इस निकाय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त धनराशि आपके विभाग को तत्काल स्थानान्तरित की जा सके। चूँकि प्रकरण मा० एन०जी०टी० से आच्छादित है, शीघ्रता प्रार्थनीय है।



(कृष्ण कान्त मिश्र)
अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1—अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/ व०प्र०अधि०स्था०नि० महोदय, गाजियाबाद।

2—उपजिलाधिकारी महोदय, लोनी।

अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
सी-९, सै०-१, आर०डी०सी०, राजनगर, गाजियाबाद 201 001

पत्रांक 763 / V-2 / 15

दिनांक 24-06-2024

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
लोनी, जनपद गाजियाबाद।

विषय:- मानीनय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 281/न०पा०परि०लो०/2024-25 दिनांक 22.06.2024 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 21.06.2024 को नगर पालिका परिषद लोनी क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालोनी की जकल निकासी की समस्या के निराकरण हेतु नगर पालिका परिषद, लोनी के अधिकारी/कर्मचारी तथा यूनिट-31, सी०एण्डडी०एस० एवं उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के अभियन्ताओं द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर उपस्थित समस्त विभागीय अभियन्ताओं की सर्वसम्मति से सर्वप्रथम जल निकासी की समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नगत क्षेत्र का भौगोलिक सर्वेक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य हेतु धनराशि रू० 5.00 लाख उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त कार्य को कराये जाने हेतु अग्रिम धनराशि के रूप में रू० 5.00 लाख इस खण्ड को निम्नलिखित खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें, जिससे की सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूर्ण कर समस्या के निराकरण हेतु अग्रिम निर्णय लिया जा सके। सुलभ सन्दर्भ हेतु बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न है।

क्र०सं०	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता सं०	आई०एफ०एस०सी० कोड
1	आई०डी०बी०आई० बैंक	राजनगर, गाजियाबाद	0066104000253857	IBKL00G0066

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अरुण प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- श्री संजय कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री शिव कुमार, जूनियर इंजीनियर।
- खण्डीय लेखाकार/कैशियर।

(Handwritten signatures)

अधिशासी अभियन्ता
नगर पालिका परिषद लोनी

अधिशासी अभियन्ता

SBI

206 State Bank of India

7

Annuxure-7

Account Statement for the period 27/06/2024 to 28/06/2024

Account Number	00000038690025266	Branch	LONI, GHAZIABAD
Address	NAGAR PALIKA PARISHAD, LONI GZB, GHAZIABAD, Ghaziabad GHAZIABAD-NOIDA UTTAR PRADESH-201102 IN	Account Type	REGULAR SB CHQ-ENTITIES
Account Name	NAGAR PALIKA PARISAD	MOD Balance	0.00
Drawing Power	0.00	Interest Rate(% p.a.)	2.7
Balance as on 27/06/2024	3,03,42,487.48		

Date (Value Date)	Narration	Ref/Cheque No.	Branch Code	Debit	Credit	Balance
27-Jun-24 (27-Jun-2024)	BY TRANSFER INB CPADXMRNJ1 URBAN_GOV STLMNT TXN-	CPADXMRNJ1CG0BYDHEC1 TRANSFER FROM 37236685743 UTTAR PRADESH STATE GO	99922		760.00	3,03,43,247.48
27-Jun-24 (27-Jun-2024)	CASH DEPOSIT CASH DEPOSIT SELF		2408		64,394.00	3,04,07,641.48
27-Jun-24 (27-Jun-2024)	CHQ TRANSFER NEFT UTR NO: SBIN124179644105 679891 MS OFFICE OF THE E E CONST DIV 1 UP	679891 MS OFFICE OF THE E E CONST DIV 1 UP	2408	5,00,000.00		2,99,07,641.48

**This is a computer generated statement and does not require a signature.

Print Back



कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

संख्या- 239 / एस0टी0-डी0एम0 / 2024
2024

दिनांक- 25 जून,

अधिकाशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड(प्रथम),
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),
गाजियाबाद

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-196/2022, हरि ओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 196/2022, हरि ओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद एवं अन्य में दिनांक 09-01-2024 को आदेश पारित करने के उपरान्त अधिकाशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी ने पत्र संख्या-1579/न0पा0परि0लो0गा0बाद/2023-24 दिनांक 16 जनवरी, 2024 के द्वारा मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ पत्र प्रेषित किया गया कि नगर पालिका परिषद लोनी के क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालौनी जो फ्रीहोल्ड कालौनी है, जिसमें छोटे छोटे मकानों के रूप में निवासी निवास करते हैं, जो घनी आबादी है। यह आबादी लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व में फ्री होल्ड कालौनी दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है। इस कालौनी का प्राकृतिक ढाल दिल्ली सहारनपुर रोड से सी-3 सैक्टर सिग्नेचर सिटी(यू0पी0एस0आई0डी0सी0)की ओर है एवं पूजा कालौनी सी-3 सैक्टर सिग्नेचर सिटी से लगभग 01 मीटर से 1.50 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तथा पूजा कालौनी की 07 से 08 कालोनियों का पानी, पावी सादिकपुर में दिल्ली सहारनपुर रोड के पास स्थित गहरे गडदे में भरा रहता है। पत्र में अनुरोध किया गया कि पूजा कालौनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज का डी0पी0आर0 तैयार करने का कष्ट करें ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद में अपेक्षित उत्तर दाखिल कराया जा सकें।

इसके उपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 196/2022, हरि ओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद एवं अन्य में दिनांक 19-01-2024 को पारित आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय) की ओर से उत्तर भी दाखिल किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

अधिकाशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी ने पत्र संख्या- 281/न0पा0परि0 लोनी दिनांक 22-06-2024 के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि दिनांक 21-06-2024 को नगर पालिका परिषद लोनी क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालौनी का निरीक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) व यूनिट-31 सी0एण्ड0डी0 एस0 के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या मे



अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल का भौगोलिक सर्वेक्षण के उपरान्त ही पूजा कालोनी क्षेत्र के जल निकासी हेतु योजना तैयार की जा सकेगी जिस पर रुपये 05.00 लाख का व्यय होगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा उपरोक्त धनराशि को स्थानान्तरित करने हेतु मांग पत्र मय बैंक विवरण सहित उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से आच्छादित है जिसमें दिनांक 02-07-2024 की तिथि नियत है। अतः आप नगर पालिका परिषद लोनी के क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालोनी के भौगोलिक सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में तत्काल/आज ही अवगत करायें ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सकें।
संलग्न :- यथोपरि।

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

प्रतिलिपि :-

मुख्य अभियन्ता, 'उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय) गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गा०क्षेत्र),
उ० प्र० जलनिगम (नगरीय),
सै०-१ राजनगर, गाजियाबाद- 201002
E- Mail ID : zce_gzb_upjn@yahoo.co.in

पत्रांक : 1332 / NGT

दिनांक: 26/06/24

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता (नागर),
उ० प्र० जलनिगम (नगरीय),
लखनऊ।

विशय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम० ए० संख्या-38/2023 in ओ० ए० संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम० ए० संख्या-38-2023 in ओ० ए० संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 की वांछित अनुपालन आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Pankaj 26.06.24

(आर० के० पंकज)
मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र)

पू० सं० एवं दिनांक -उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उ० प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ० प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
5. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31, सी० एण्ड डी० एस०, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी।

मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र)



कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD
 फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

संख्या- २५ / एस०टी०-डी०एम० / 2024

दिनांक- 28 जून, 2024

श्री अरुण प्रताप सिंह,
 अधिशासी अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड-प्रथम,
 उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),
 गाजियाबाद

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-196/2022, हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्या-239/एस०टी०-डी०एम०/2024 दिनांक 25 जून, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-196/2022, हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उपरोक्त ओ०ए० संख्या के अनुपालन में उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों द्वारा दिनांक 01-04-2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त आपके स्तर से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन समय से कराये जाने हेतु कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी जबकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए बार-बार योजित ओ०ए० संख्या में कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित कर अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।

इसके उपरान्त दिनांक 21-06-2024 को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं यूनिट-31 सी०एण्ड०डी०एस० के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के उपरान्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी को अवगत कराया गया कि प्रकरण में भौगोलिक सर्वेक्षण के उपरान्त ही पूजा कालौनी क्षेत्र के जल निकासी हेतु तैयार की जा सकेगी जिस पर 05.00 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखे हुए दिनांक 22-06-2024 को ही उपरोक्त धनराशि को स्थानान्तरित कराये जाने हेतु मांग पत्र बैंक विवरण सहित उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। आप द्वारा दिनांक 24-06-2024 को मांग पत्र प्रेषित किया गया जिस पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा दिनांक 28-06-2024 को अंकन धनराशि 05.00 लाख रुपये स्थानान्तरित कर दिये गये।

इस प्रकार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15-01-2024, 19-01-2024 एवं 03-04-2024 का अनुपालन कराये जाने में आपके



स्तर से लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी। अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण तत्काल अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें :-

- 1- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न तिथियों में पारित आदेश का अनुपालन कराये जाने में विलम्ब का कारण स्पष्ट करें।
- 2- दिनांक 01-04-2024 को प्रश्नगत प्रकरण का सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसी दौरान धनराशि की मांग किन कारणों से नहीं की गयी।
- 3- आपके स्तर पर बरती गयी लापरवाही के कारण ही मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समय से अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की जा सकी, जिस पर बार बार मा0 अधिकरण द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी।
- 4- आप द्वारा पत्र संख्या- 138/कार्य दिनांक 04-02-2024 का उल्लेख अपने उत्तर में अंकित किया है, जिसमें अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, लोनी को प्रेषित करते हुए प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की है, जिसमें अंकन धनराशि बीस लाख रुपये पानी निकासी एवं सीवरेज व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उक्त पत्र के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि सम्बन्धित पत्र न तो नगर पालिका परिषद लोनी में प्राप्त हुआ है और न ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अतः आप स्पष्ट करें कि उपरोक्त पत्र कब प्राप्त कराया गया।


 (इन्द्र विक्रम सिंह),
 जिलाधिकारी,
 गाजियाबाद